

कार्यालय वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आयरी क्रमांक 676477
दिनांक 16/12/15

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

विषय : विभाग में उपलब्ध बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित भण्डार सामग्री/वाहन के निस्तारण बाबत।

राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित भण्डार सामग्री/वाहन के निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश परिपत्र संख्या 7/2014 दिनांक 4.7.2014 से जारी किये गये थे और इन निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना हेतु परिपत्र 12/2014 दिनांक 18.12.2014 के माध्यम से जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 11/2014 तक नीलामी से प्राप्त कुल राशि रुपये 60.97 लाख प्राप्त हुए हैं जो गत वित्तीय वर्ष (2013-14) में इस मद के अन्तर्गत प्राप्त कुल राशि रुपये 13.10 करोड की अनुपात में मात्र 4.65 प्रतिशत है, जो नगण्य है।

अतः इस संबंध में आपसे पुनः अनुरोध है कि दिनांक 31.3.2015 तक विभाग में उपलब्ध नकारा एवं अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(प्रेम सिंह मेहरा)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त 13/15-

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख शासन सचिव/
समस्त शासन सचिव

अशा.टीप क्र: प.6(1) वित्त/साविलेनि/2005-।

जयपुर, दिनांक : 13.02.2015